फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री राधाकिशन** | विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट | पत्रावली संख्या :– 106/25

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/362

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 06.01.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा इस पत्रावली में चाहा गया अनुतोष कैम्प में दिया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण केवल मात्र नाम संशोधन कराने हेतु प्रस्तुत किया था। जो कि वर्तमान जमाबंदी में संशोधन होकर दर्ज हो चुका है। अंत में निवेदन किया की इस प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप कर खारिज किया जावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुसार संशोधन होकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज हो चुका है। इसलिए अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं ही प्रकरण को आगे चलाना नही चाहते है। प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप करवा खारिज करवाना चाहते है। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:55 IST
Reason: SelfAttested